



Regional office

**Rajasthan State Pollution Control Board**

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : [rorpcbudaipur@gmail.com](mailto:rorpcbudaipur@gmail.com) Phone no : 0294-2491269

Dated : 13/11/24

No.: RPCB/RO U/UDR/ 1916

**The Secretary,  
Environment and Climate Change,  
State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),  
10, Bhawani Singh Lane, Bhawani Singh Rd,  
Sahakar Marg, near ETC,  
Jaipur, Rajasthan (Pin code no. 302005)**

Sub:- Regarding minutes of public hearing dtd. 07.11.2024 for Environmental Clearance of M/s Maruti Mines & Minerals, Quartz & Feldspar Mine (M.L. No.- 11/2023), N/v-Mal ki Tus , Tehsil- Vallabhnagar, District : Udaipur.

Ref:- कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर पत्र क्रमांक प.39/2( )राज./खनन/2024/2282-84 दिनांक 02.10.2024

Sir,

With reference to above, kindly find enclosed herewith a copy of Minutes of Public Hearing Meeting held on 07.11.2024 for proposed production M/s Maruti Mines & Minerals, Quartz & Feldspar Mine (M.L. No.- 11/2023), N/v-Mal ki Tus , Tehsil- Vallabhnagar, District : Udaipur.

A copy of attendance sheet, CD and album are also enclosed for ready reference.

Submitted for information & further necessary action.

Yours Faithfully,

Encl: As above.

(Sharad Saksena)  
Regional Officer

Copy to:- (1) The Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information please.

(2) Sub Divisional Magistrate, Vallabhnagar, Udaipur.

(3) Incharge, I.T. Cell, RSPCB, Jaipur

(4) M/s Maruti Mines & Minerals, N/v-Mal ki Tus , Tehsil- Vallabhnagar, District: Udaipur.

Signature valid

Digitally signed by Sharad Saksena  
Designation: Senior Environmental  
Engineer  
Date: 2024.11.13 16:09:34 IST  
Reason: Approved



मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक

07.11.2024 प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम- माल की दुस,

तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.10.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र जय राजस्थान में दिनांक 09.10.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स" द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (एम.एल.न. 11/2023 (लीज क्षेत्र 1.5099 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 51.5 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1563847 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 224046 TPA निकट ग्राम-माल की दुस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रु. 1.5/- करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताएं साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी. डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 21.12.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्ष्मता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में सलग्न) है।

क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
वल्लभनगर

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब"के अनुसार है।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "स" में संलग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "द" में संलग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायतें रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

**श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-**

आपके कोई भी शिकायत हो कोई आक्षेप हो तो आप कर सकते हैं आपके अपना नाम बताए गाँव का नाम बताए, कोई भी आपको C.S.R. में काम करवाना हो कोई शिकायत हो।

**श्री शिवसिंह - ग्रामवासी:-**

माईन्सो से रोड पूरा टूट गया जाने आने से लोगो को थोड़ी दिक्कत होती है वो आगे माईन्से चल रही है उनको थोड़ा रोड कम्पलिट करवाओ।

**पर्यावरणीय सलाहकार -**

सर, इसके लिए प्रावधान दिया गया है जिसमें आपकी सड़को का निर्माण करवाया जाएगा जो भी टूटी रहेगी, सर।

**श्री शिवसिंह - ग्रामवासी:-**

20 साल हो गए माईन्से चल रही है कोई काम करवाने वाला नहीं आया, रोड़े खराब हो रही है।

**पर्यावरणीय सलाहकार:-**

सर, उसके लिए आपके पास भी एक उपलब्धि है और हमारे प्रोपोनेन्ट उनके पास भी रहेगी इसलिए वो काम करवाएंगे।

**श्री शिवसिंह - ग्रामवासी:-**

एक रोड़ पर पानी छिड़कते ही नहीं धुल उड़ती है।

श्री  
क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
उदयपुर (राज.)

शिवसिंह सिंह  
उपखण्ड अधिकारी  
वल्लभनगर

**पर्यावरणीय सलाहकार:-**

धुल का उड़ाव नहीं, उसके लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा जब ही ऐसे धुल नहीं उड़ेगी सर।

**श्री कैलाशचन्द्र - ग्रामवासी:-**

और एक हमारे पंचायत में फलेट गाँव है वहा माईन्से अधिक है और वहां की वो जो कम्पन से विद्यालय की पूरी छत गिर गई और उनसे निवेदन किया माईन्स वालो से यह जल्द वापस आप थोड़ा बजट निकाल के हमको अवगत करा पंचायत से वो छत वापस रिपेयर करवा दे तो उन्होने कहा की यह हमारे बस की बात नहीं है हम नहीं कर सकते और बाकी यह जो रास्ता जा रहा है फलेट गाँव से माल की दूस से फलेट तक वहा दो-दो फीट के गढ़के कर दिए और उनमें मिट्टी डालने के लिए हमने दो-तीन बार उनसे निवेदन किया तो भी मिट्टी उन्होने अन्दर नहीं डलवाई जो गाँव वो जाने के लिए फलेट गाँव वाले बहुत स्पीड गड्ढे में गिरते हैं, रात के अन्धेरे में यही समस्या वो पंचायत की है और उसमें जो केमीकल का जो पानी है वो वेन्स द्वारा जो नदी में छोड़ रहे है यह लोग वो पानी अभी तो इतना हल्ला मचा हुआ हैं, जो मच्छर पैदा हो रहे है जो पूरा गाँव अभी बीमारी से झूज रहा हैं।

**पर्यावरणीय सलाहकार:-**

सर, जो खान स्टार्ट होगी सर उसके लिए जो आस-पास ताराबंदी करवाई जाएगी, उसके लिए और आपका कहना हैं कि पेड़-पौधे जो उग रहे है जो फालतु की झाड़ी-वाड़ी हो रही हैं उसके लिए सर उनको प्रावधान भी है सर स्कूलो मे और आपके ग्राम पंचायत में आधी जगह पौधे लगवाए जाएंगे जिसमें हमारे मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स ने पहले ही अभी पाँच सौ पेड़ अभा लगवाए हैं जिसमें, अर्जुन, नीम, और गुलमोहर भी आदि शामिल हैं इसमें कही और आपका कहना है कि जो रोड़ पे जो ट्रक निकलते हैं उनके लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा, सर और जो और खान वाले हैं उनके लिए भी सर आपके पास प्रावधान होता है कि हर छः महीने में कम्पलाईन्स रिपोर्ट जाती हैं उसकी शिकायत आप खान विभाग में कर सकते है।

**श्री कैलाशचन्द्र - ग्रामवासी:-**

वो तो अभी तो आ जाएंगे बाद में अगर माईन्स चालु हो गया उसके बाद सुनने वाले नहीं है।

**पर्यावरणीय सलाहकार:-**

सर, उसकी शिकायत आप खान विभाग में कर सकते हैं, वहां आपको सुना जाएगा।

**श्री भोलेराम नागदा- ग्रामवासी:-**

मैं SDO साहब से निवेदन करता हूँ हमारे राजस्व गाँव में इधर फलेट यहां से करीब पाँच-छः किलोमीटर जो पुरानी माईन्स इस माईन्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो पुरानी माईन्स से चल रही हैं रोज कम से कम दस, बीस, पचास रोज निकलते है तो उससे क्या वो रोड़ जो है गाँव वाले के लिए बिल्कुल टूट गई है उसमें सर क्या होता है, आप जानते हो हमारे से बहुत ज्यादा इसमें अलग से एक फण्ड आता

क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
वल्लभनगर

है वो क्या बोलते है DMFT फण्ड कौन सा फण्ड होता है वो आपसे आगाह करुंगा कि वो दिलाए किधर भी कर के रोड को वापस यह ठीक करवाए धन्यवाद।

**श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-**

और कोई कुछ बोलना चाहे तो आ सकते है ।

**श्री महेन्द्र सिंह चौहान - ग्राम गुंपडी:-**

SDM साहब से और आप अधिकारी साहब पधारे हैं सबसे यही निवेदन हैं की जैसे आप पूर्व सरपंच भोलेराम जी ने अभी वर्तमान सरपंच कैलाश जी ने जो पुरानी जो माईन्से चल रही हैं बस वही दिक्कते जो नियम जो फॉलो नहीं करते है और अपनी मन मरजी करते हैं कम से कम आप के जो भी रुल्स है। अभी आपने बताया कि कही भी अपन माईनिंग विभाग से यह शिकायत दर्ज कर सकते है तो आपके तो अभी जैसे यह पर्यावरण विभाग के बारे में तो खाली जो रोडे है साहब वो कम से कम आपके उस क्षेत्र अधिकारी आप के DMFT फण्ड का जो जो माईन्से चल रही है जहां खनन और खदाने चल रही है जहाँ से माल निकल रहा है कम से कम वहां उस एरिये मे डेवलपमेंट होना चाहिए बस यही कहना चाह रहे है।

**श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-**

और कोई कुछ बोलना चाहे तो आ सकता है, कोई भी आप कह सकते है जो आप कहना चाहे, शिकायत हो आपको कोई हस्तक्षेप हो या कोई सुधार का कार्य हो जो हो चुके है उनके अलावा, मैं माननीय SDM साहब से निवेदन करुंगा दो शब्द कहे:-

**श्री सुरेन्द्र पाटीदार जी एस.डी.एम, वल्लभनगर, उदयपुर:-**

सबसे पहले तो आज की जो जनसुनवाई है उसमे ग्राम पंचायत के सभी जन प्रतिनिधी और जागरूक नागरीक जो आए हुए है उनका प्रथम गुरुवार की जनसुनवाई में स्वागत है आज की जो जनसुनवाई है वो हमारी नियमित रूप से जन सुनवाई के साथ-साथ एक विशेष रूप से जो मारुति मेसर्स जो माईन्स है उसकी जनसुनवाई को लेकर कर के रखी गई है जिसमें आप लोगो ने अपनी सुझाव भी रखे है और समस्याएं भी रखी हैं जिसको को टिम आई हुई है और प्रतिनिधी आए हुए है उनके साथ भी मेरा यही विशेष रूप से अपील रहेगी कि जनरली जो जनसुनवाई होती है उस समय में तो आप उस समस्याओं को सौत्व कर देंगे बाद में उन समस्याओं की ओर ध्यान देने वाले कम होते है तो मैं खुद भी इसमे इन्ट्रेस्ट लुगां और एसी कोई समस्याएं होंगी और कोई सुझाव भी होंगे तो निश्चित रूप जहां विकास होता है कुछ-कुछ ऐसी समस्याएं आती है जैसे माईनिंग कि वजह से यहां पर बहुत हैवी लोडेड वाईकल निकल के आते है तो उसकी वजह से सड़को का भी प्रोब्लम रहता है और यह जो जन सुनवाई रखी गई है वो विशेष रूप से उसके सोशल इम्पेक्ट जो होते हैं उस पर पर्यावरण को प्रभावित नहीं हो उसके लिए भी विशेष रूप से रखी गई है तो उसका भी इनके नॉर्म्स में प्रोविजन है हर साल में यह वर्षारोपण भी करेंगे और सी.एस. आर फण्ड में भी हमारे यहां कोई ऐसा स्कूल में है या किसी विशेष रूप से किसी भी विशेष व्यक्ति, समुदाय

क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
वल्लभनगर

या संस्थान को या सरकारी संस्थान को हो गए या पंचायत हो गए कही कुछ ऐसे सहयोग की जरूरत होगी तो निश्चत रूप से सी.एस.आर. फण्ड मे प्रावधान रहता हैं अब उसके लिए मैं खुद भी प्रयास करूंगा कि इस प्रकार कही आवश्यक तो हम सब मिलकर इराको सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे भी की आप लोगो के जो नौम्स हैं उसके अर्कोडिंग भी हम ग्रामीणजनों को जो की निश्चत रूप से इनके क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधी होती है तो उसका इनको लाभ मिलना चाहिए ना की नुकसान होना चाहिए तो वो लाभ भी इनको मिले उसके लिए आप हम सब मिलकर एक सकारात्मक दिशा में प्रयास करेंगे ताकि आप भी इसके अलावा भी कोई भी कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे ऑफिस में भी आकर दे सकते हैं या बता सकते है इस जनसुनवाई के अलावा भी और कोई समस्या हो तो उसका हम सब मिलकर समाधान करेंगे और सही दिशा मे प्रयास करेंगे धन्यवाद।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-

धन्यवाद SDM साहब अब जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट बैठे हुए हैं वो कुछ दो शब्द कहे।

श्री सुरेन्द्र सिंह प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट :-

मैं सुरेन्द्र सिंह मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स SDO सर RO सर, और पधारे सम्मानीत नागरिक जनो का स्वागत हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ मैं आपको थोडा सा बताना चाहूँगा कि मेरा इस एरिए से जुडाव पिछले पाँच वर्षो से है और पाँच वर्षो से हम इस एरिए मे काम कर रहे हैं हमारा मारुति मिनकेम करके कांटा भी है और जब-जब गाँव मे कोई भी सामुहिक प्रोग्राम होते हैं गरबा महोत्सव हुआ, गणपति महोत्सव हुआ उसमें भी ऊपर चढकर भाग लेते है और आर्थिक सहयोग प्रदान करते है कर और अभी जैसे हमारे एक पर्यावरण जन स्वीकृति हो रही हैं या नई माईन्स होने जा रही हैं, हमारी उससे पहले इस सिजन में पाँच सौ पेड़ लगाए मैन रोड पे लगाए है एक हनुमान जी की जो वाटिका है वहाँ पे लगाए हैं, हॉस्पिटल मे लगाए रोड के किनारे लगाए तो हमारे द्वारा समय-समय पे अच्छे कार्य करने कि कोशिश की जाती है और यहाँ के लोगो से मिल के जो भी लोगवाग समस्या बताते हैं या स्थान सम्बधित समस्या बताते है तो हम पूरा ध्यान रखते हैं और सरकारी गाईडलाईन के अनुसार ही कार्य करेंगे और कभी भी किसी चिज की हमसे कभी कोई अपेक्षा हैं गाँव को या गाँव को कभी कोई जरूरत पडी तो हम हमेशा आपके साथ खडे है धन्यवाद।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-

इसमे एम्प्लोयमेन्ट वगेरह कितना जनरेट होगा माईन्स पे, रोजगार कितना जनरेट होगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट :-

रोजगार एम्प्लोयमेन्ट सर हमारे 20 आदमी रखे जाएंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-

गाँव से ?

क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
वल्लभनगर

श्री सुरेन्द्र सिंह प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट :-

टेक्नीकल टीम तो सर हमारी बाहर से रहती हैं बाकी जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय लोगो को रोजगार मिल जाएगा इनको प्राथमिकता देंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर:-

और कोई कुछ कहना चाहे तो आ सकते हैं, आप सभी का धन्यवाद, आप पधारे, जय हिंद।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "स" में सलंगन) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "द" में सलंगन) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुरेन्द्र पाटीदार)

उपखण्ड अधिकारी  
वल्लभनगर

(शरद सक्सेना)

क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षे.का., रा.प्र.नि.म., उदयपुर  
क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
उदयपुर (राज.)

श्रीकेशीध इन्डिया

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
(राज.) प्रदूषण

मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स, क्वार्टर एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 11/2023, क्षेत्रफल- 1.5099 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1563847 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 224046 TPA निकट ग्राम- माल की दुस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 07.11.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की दुस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1			
2	सुरेश चं. पावदार	SOM-VBN	
3	शरद शंभर	RO RSPCB Udaipur	
4	श्री. पी. गिरीश	RPCB	
5	अभिषेक शर्मा	ENV. Consultant Udaipur	
6	लक्ष्मी शर्मा	R.N.S. V.B.N	
7	गिरु नाथ चौधरी	चौधरी का गुडा	
8	सुरेश सिंह	गुडा का गुडा	
9	वसुदेव नाथ चौधरी	चौधरी का गुडा	
10	हरि सिंह खेवर	खेवर का गुडा	
11	पिन्डू लाल मेघवाल	मेघवालिया	
12	कीर्ति	माल की दुस	
13	केन्द्र नागडा	नागडा का रोवा, माल की दुस	
14	दिनेश	माल की दुस	
15	महेन्द्र सिंह चौधरी	चौधरी का गुडा	
16	दिनेश		
17	भैरव लाल खोटे	माल की दुस	
18	सुरेश शर्मा		
19	अमराज गायत्री	जसपुरा	
20	केलश डोंगी	शिवाजी	
21	मीती लाल	जसपुरा	



क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	मनोहर जी	हरी राव	मनोहर
23	शशीधर शिवेडिया	शशीधर शिवेडिया	
24	पुमादेव	पुमादेव	पुमादेव
25	शिवराज	Shivraj Singh	शिवराज
26	शिवराज	शिवराज	शिवराज
27	Rohit Kashyap	Udaipur	शिवराज
28	SANJAY JHALANIYA	Udaipur	शिवराज
29	Rajkand Sharma	Jaipur (Environmental Consultant)	शिवराज
30	Bhupendra Singh	meetha rim	शिवराज
31	भैरव लाल	भैरव लाल	शिवराज
32	भैरव लाल	भैरव लाल	शिवराज
33	विक्रम शर्मा	जयपुरा	शिवराज
34	शंकर राव	शिवाजी	शिवराज
35	Amardeep Patel	Udaipur	शिवराज
36	महेश शर्मा	महेश शर्मा	शिवराज
37	विठ्ठल शर्मा		शिवराज

मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स, क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 11/2023, क्षेत्रफल- 1.5099 हेक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1563847 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 224046 TPA निकट ग्राम- माल की दुस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 07.11.2024 को प्रातः 11.00 AM बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की दुस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1			
2	सुरेश चं. पायवार	SDM-VBN	
3	शिव शंभर	RO RSPCB Udaypur	
4	जी. पी. जीनजर	RPCB	
5	अत्रिबेन शर्मा	ENV. Consultant Udaypur	
6	वसिष्ठ मिश्र	R.M.S. V.B.N	
7	गिहू नाथ-जौहान	वाहानो का गुप्त	
8	सोहनसिंह	मन्देशर के गुप्त	
9	वसुदेव नाथ-जौहान	वाहानो का गुप्त	
10	हरि सिंह खन्ना	मन्देशर के गुप्त	
11	पिन्डू लाल मेघवाल	मन्देशर के गुप्त	
12	काजी	माल की दुस	
13	केन्द्र नागडा	वाहानो का सेवा, माल की दुस	
14	दिनेश	माल की दुस	
15	मन्देशर के गुप्त	वाहानो का गुप्त	
16	दिनेश		
17	मन्देशर के गुप्त	माल की दुस	
18	सुरेश मिश्र		
19	जसपूर	जसपूर	
20	केवला डोंगी	शिवाजी	
21	मोतीबान	जसपूर	



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परि योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूक मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ए.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्ध भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
- 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर।
- 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कर्मरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत प्रयाग राज्य गोपी सेवा केंद्र, ग्राम-मातों की दुस, तहसील - कुराबड़, जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331964

**क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एफ 470 यू.सी.सी.आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)**

**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना**

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टर्प्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टर्प्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टर एवं फेल्डसपार माईनिंग (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूक मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ए.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्ध भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
- 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर।
- 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कर्मरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिखरी, ग्राम - शिखरी, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331966

**क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एफ 470 यू.सी.सी.आई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)**

**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना**

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिन्नरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिन्नरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टर एवं फेल्डसपार माईनिंग (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूक मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ए.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
- 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्ध भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
- 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
- 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर।
- 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कर्मरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिखरी, ग्राम - शिखरी, तहसील - कुराबड़ (गिवाँ), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331965

वनवासी कल्याण परिषद के जिला मंत्री मंगन डामोर रहे। मुख्य वक्ता पुंजा भगोरा ने रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया। इस अवसर पर राणा पुंजा भील के बारे में प्रदेश संयोजक लालरूप कटारा ने बताया कि पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री मंगन डामोर ने किया। शारदा देवी, सवीता देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, सुशीला देवी, तुलसी देवी, रामलाल आदि मौजूद थे।

**विस्फोटक फैक युवती को जलाने के अभियुक्त को उम्रकैद**

उदयपुर। अजा/अजजा अनिप्र अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने घर पर सो रही युवती को जान से मारने की मंशा से विस्फोटक फैककर उसे जलाने के मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार सोखवड़ा फला नया गांव निवासी सोनिया ने कोटड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि सात अक्टूबर को वह गरबा खेलकर अपने घर आई और खाट पर सो रही थी कि अचानक तेज धमाका होने से लहलुहान हो गई। आरोपी सतीश पुत्र मणा निवासी नयावास ने उस पर विस्फोटक फैका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया 9 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त सतीश को विभिन्न आजीवन कठोर कारावास व जुमाने की सजा सुनाई।

**प्रधानमंत्री जन औषधि**



अपार्त्र करन व न्याय प्राप्त नहीं है। अधिकारी आदेश का गलत को कई पात्र लोगों को किया है। घुमन्त परिवार। नवज्योति/सराड़ा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराडी और उदयपुर सांसद डॉ.मैनालाल रावत ने मंगलवार को चावंड में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी दवाई की दुकान का उद्घाटन किया। उद्घाटन में सन्त सानिध्य हितस्वरानंद सरस्वती (कटावला मठ) का रहा। जनजाति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प गरीब तबके लोगों को सहज सुलभ अवसर पर मॉके पर अंतरिम समिति प्रेमप्रक नदेशक एवं उ हरीश सवाशिय सहकारी समिति जिला मुख्य सलुंबर डॉ. जेप संघटन सलुंबर मोड़, भाजपा मीणा, समाज

**बाबा महाकाल मंदिर कारख में हवन**



नवज्योति/खेरवाड़ा। बाबा महाकाल धाम कारख कला पर नवरात्रि के तहत हवन किया गया। हवन पूजन समारोह आचार्य हितेश जोशी और अजय भट्ट के सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्य यजमान गोविंद सिंह भीमपुर, मोहन औदिय, मयूर पटेल रहे।

**सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस प्रशि**

नवज्योति/खेरवाड़ा। पीईईओ लराठी में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उद्घाटन उप प्रधानाचार्य बाबूलाल परमार ने किया। बताया कि बदलते परिवेश में बालकों में जीवन कौशल, आत्मविश्वास में दृढ़ता व भयग्रस्त वातावरण उन्हें अवसाद की ओर ले जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक लक्ष्मीनारायण मेधवाल ने बताया कि वर्तमान में अभिभावक की बच्चों के प्रति वर्तमान व दुनिया से जीवन जीने करना बेह इस प्र के कक्षा वाले शिक्ष के अंत स्थित व बालकों शिक्षकों किया।

का नाम  
झाड़ोल। रावला  
का मंचन किया गया। वहीं प्रभु रामचंद्र जी की दुखी दशा देख सभी दर्शक  
व्याकुल हो गए। इतना सुंदर प्रसंग काशी के कलाकारों द्वारा दर्शाया गया कि  
संसार को सुख देने वाले भगवान राम के ऊपर भी संकट आए थे हम तो  
कलयुग के मानव हैं हम पर दुख आए तो क्या। रामचरित जैसे ग्रंथ से हमें  
मानव जीवन कैसे जीना चाहिए यह सीख लेनी चाहिए।

## क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ 470 वृसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी,

उदयपुर (राज.)



### पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11 / 2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हेक्टेयर)  
"क्वार्टेज एवं फेल्डसपार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण  
स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11/2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हेक्टेयर) "क्वार्टेज एवं फेल्डसपार" ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टेज एवं फेल्डसपार माईन (एम.एल.न. 11 / 2023, क्षेत्रफल 1.5099 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सम्बन्धित अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-  
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।  
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर।  
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना इंगरी, जयपुर।  
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।  
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर।  
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।  
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी



नवज्योति/खेरवाड़ा। खेरवाड़ा तहसील के राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास में रानी दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती वर्ष समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षिका ममता मीना ने की। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा युवा समाजसेवी व जनजाति सुरक्ष मंच की जिला महिला प्रमुख रही। मुख्य अतिथि लालू राम कटारा प्रदेश संयोजक जनजाति सुरक्ष मंच एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी हरिसुम, पूर्व सम्बन्ध प्रमिता एवं राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के जिला मंत्री मगन डामोर रहे। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा ने रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया। इस अवसर पर राणा पूजा भील के बारे में प्रदेश संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री मगन डामोर ने किया। शारदा देवी, सवीता देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, सुशीला देवी, तुलसी देवी, रामलाल आदि मौजूद थे।

## विस्फोटक फैक युवती को जलाने के अभियुक्त को उम्रकैद

उदयपुर। अजा/अजजा अनिप्र  
अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति

## प्रधानमंत्री जन





**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना**

विषय:- मैसर्स जी.एल. विनरल्स, एम.एल.नं. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डमगार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. विनरल्स, एम.एल.नं. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डमगार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टर एवं फेल्डमगार माईन (एम.एल.नं. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
  2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
  3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संश्लेष अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-  
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।  
2) सहाय्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  - 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्ध भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
  - 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
  - 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर।
  - 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।  
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।
- अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिवाजी, ग्राम - शिवाजी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

**बच्चों ने जानी ईटीएफ एवं टैपिंग तकनीक**  
उदयपुर, (निसं):- टैरो कार्ड रीडर डॉ. अदिति राठौड़ ने आज ऐश्वर्या कॉलेज में आज बच्चों के लिये ईटीएफ एवं टैपिंग तकनीक पर कार्यशाला का आयोजन किया। श्रीमती अदिति राठौड़ ने बच्चों को टैपिंग तकनीक के तहत विभिन्न टैपिंग पॉइंट्स की जानकारी दी और टैपिंग करवाई। ईटीएफ और टैपिंग तकनीक के माध्यम से हमारी आंतरिक ऊर्जा जाग्रत होती है तथा विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों का इलाज संभव है। इस तकनीक का अविष्कार गैरी क्रेग ने 1991 में किया था। यह तकनीक पारम्परिक एक्स्प्रेसर तकनीक पर आधारित है। कार्यक्रम का संचालन एमवीए की छात्रा इनसिया अब्बास ने किया। प्राचार्य डॉ. ऋतु पालीवाल ने कार्यशाला को सभी के लिए अत्यंत प्रभावशाली होना बताया।

**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना**

विषय:- मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड विनरल्स, एम.एल.नं. 11 / 2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डमगार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मारुति माईन्स एण्ड विनरल्स, एम.एल.नं. 11/2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डमगार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टर एवं फेल्डमगार माईन (एम.एल.नं. 11 / 2023, क्षेत्रफल 1.5099 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
  2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
  3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संश्लेष अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-  
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।  
2) सहाय्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।  
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्ध भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।  
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।  
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर।  
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।  
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।
- अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी



**पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना**

विषय:- मैसर्स महादेव मारुति एन्टरप्राइजेज, एम.एल.नं. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डमगार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव मारुति एन्टरप्राइजेज, एम.एल.नं. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हेक्टेयर) "क्वार्टर एवं फेल्डमगार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टर एवं फेल्डमगार माईन (एम.एल.नं. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हेक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375597 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
  2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
  3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संश्लेष अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-  
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।  
2) सहाय्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।  
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्ध भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।  
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।  
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर।  
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।  
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।
- अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिवाजी, ग्राम - शिवाजी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

स्वाइन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक

# जागृति फिवरिन काढा

स्वाइनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

## JAGRITI FEVRIN KADA

# Jyoti Stores

(A Leading Merchant in Ayurvedic medicines)

## ज्योति स्टोर्स

Out side Delhi Gate UDAIPUR-313001 (Raj)

अनुभवी चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध, फोन नं. : 2420016 (S)

Email : jagrititherbs@yahoo.co.in. Website : www.jagritiayurved.com